

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58] No. 58] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 22, 2016/माघ 2, 1937

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 22, 2016/MAGHA 2, 1937

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2016

सा.का.िन.102(अ).—वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (वर्ष 2002 का 54) की धारा 20 के साथ पठित धारा 38 की उप धारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (ग) से (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (केंद्रीय रजिस्ट्री) नियमावली, 2011 में संशोधन के लिए निम्न अतिरिक्त नियम बनाती है नामत:-

- 1. (1) इन नियमों को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (केंद्रीय रजिस्ट्री) संशोधन नियमावली, 2016 कहा जाएगा।
 - (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (केंद्रीय रजिस्ट्री) नियमावली, 2011 में (अब से मूल नियमावली कहा जाएगा), -----
- (क) नियम 4 में, उप-नियम (2) के उपरांत, निम्नलिखित उप-नियम शामिल किये/डाले जाएंगे, नामत:-
- "(2क). स्वत्व विलेखों को जमा करके बंधक रखने से इतर द्वारा अचल सम्पत्ति को बंधक रखते समय प्रतिभूति हित के सृजन, आशोधन अथवा संतुष्टिकरण का विवरण फार्म-। अथवा फार्म-॥, जैसा भी मामला हो, में भरा जाएगा तथा वैध डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करते हुए इस उद्देश्य हेतु फार्म में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

361 GI/2016 (1)

- (2ख). संयंत्र तथा मशीनरी, स्टाक, बही ऋण सहित ऋण अथवा प्राप्य राशियों, भले ही विद्यमान हो अथवा भविष्य में हो, के दृष्टिबंध में प्रतिभूति हित के सृजन, आशोधन अथवा संतुष्टिकरण का विवरण फार्म-। अथवा फार्म-।, जैसा भी मामला हो, में भरा जाएगा तथा वैध डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करते हुए इस उद्देश्य हेतु फार्म में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।
- (2ग). तकनीकी जानकारी (नो-हाऊ) पेटेंट, सर्वाधिकार, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रैंचाइजी अथवा समान स्वरूप के अन्य व्यवसायिक या वाणिज्यिक अधिकार जैसी अमूर्त संपत्ति में प्रतिभूति हित के सृजन, आशोधन अथवा संतुष्टिकरण का विवरण फार्म-। अथवा फार्म-॥, जैसा भी मामला हो, में भरा जाएगा तथा वैध डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करते हुए इस उद्देश्य हेतु फार्म में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।
- (2घ). किसी निर्माणाधीन रिहायशी अथवा वाणिज्यिक सम्पत्ति अथवा उसके किसी अंश में बंधक से इतर किसी समझौते अथवा लिखत द्वारा प्रतिभूति हित के सृजन, आशोधन अथवा संतुष्टिकरण का विवरण फार्म-। अथवा फार्म-।, जैसा भी मामला हो, में भरा जाएगा तथा वैध डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करते हुए इस उद्देश्य हेतु फार्म में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।
- (ख). नियम 5 में, उपनियम (1)—
- (i) "नियम 3 के उप-नियम (1) में" शब्दों, कोष्ठकों तथा अंकों के स्थान पर "नियम (4) के उप-नियम (1) में" शब्द, कोष्ठक व अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) दूसरे परन्तुक के उपरान्त, निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएंगे, नामत:-
- "(बशर्ते यह भी कि नियम (4) के उप-नियम (2क) से (2घ) के अंतर्गत सभी मौजूदा लेन-देन के विवरण को प्रतिभूत उधारकर्ताओं द्वारा केंद्रीय रजिस्ट्री में केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट तिथि या उससे पहले दायर किया जाएगा और ऐसे विवरण को उक्त तारीख तक दर्ज करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।

बशर्ते यह भी कि सभी मौजूदा लेन-देन के विवरण जिन्हें निर्दिष्ट तिथि के पश्चात् केंद्रीय रजिस्ट्री में दर्ज किया गया है, पर नियम 7 के अंतर्गत तालिका में निर्दिष्ट शुल्क भुगतेय होगा।

स्पष्टीकरण:- तीसरे और चौथे परन्तुक के प्रयोजन हेतु "मौजूदा लेन-देन" शब्द का अर्थ वे सभी लेन-देन हैं जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (केंद्रीय रजिस्ट्री) संशोधन नियमावली, 2016 के लागू होने से पूर्व किए गए हों।";

(ग) तालिका के संबंध में नियम, 7 के अंतर्गत निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

तालिका

豖.	पंजीकृत किए जाने वाले लेन-देन का	नियम	फार्म सं.	देय शुल्क की राशि
सं.	स्वरूप			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	स्वत्व विलेख जमा करके गिरवी	नियम 4 का	फार्म ।	5 लाख रु. से अधिक ऋण के संबंध में प्रतिभूति हित
	रखकर प्रतिभूति हित सृजित करने या	उप-नियम (2)		के सृजन और प्रतिभूति हित के किसी उत्तरवर्ती
	उसमें संशोधन करने का विवरण			संशोधन के संबंध में 100 रुपये।
				5 लाख रु. तक के ऋण के संबंध में प्रतिभूति हित के
				सृजन और संशोधन दोनों के लिए शुल्क 50 रु.
				होगा।
2.	स्वत्व विलेख जमा करने के अलावा	नियम 4 का	फार्म ।	शून्य

हित सृजित करने या उसमें संशोधन करने का विवरण 3. संयंत्र और यंत्र, स्टॉक बही ऋण सहित ऋण या प्राप्य वस्तुएं, चाहे वह मौजूद हों या सृजित होने वाली हो, के दृष्टिबंधन के तहत प्रतिभूति हित सृजित करने या उसमें संशोधन करने का विवरण 4. प्रकाशनाधिकार या ट्रेडमार्क में प्रतिभूति हित सृजित करने वा उसमें संशोधन करने वा विवरण 4. प्रकाशनाधिकार या ट्रेडमार्क में प्रतिभूति हित सृजित करने वा उसमें संशोधन करने वा विवरण 5 लाख रु. से अधिक ऋण के संबंध में प्रतिभूति हित के सृजन और संशोधन दोनों के लिए शुल्क 50 रु. होगा। 5 लाख रु. से अधिक ऋण के संबंध में प्रतिभूति हित के सृजन और प्रतिभूति हित के किसी उत्तरवर्ती संशोधन के संबंध में प्रतिभूति हित के सृजन और संशोधन दोनों के लिए शुल्क 50 रु. होगा। 5. गिरवी के अलावा समझौता या किसी अन्य लिखत के द्वारा निर्माणाधीन किसी आवासीय या वाणिज्यक (2घ) 5 लाख रु. से अधिक ऋण के संबंध में प्रतिभूति हित के सृजन और प्रतिभूति हित के किसी उत्तरवर्ती संशोधन के संबंध में प्रतिभूति हित के के सृजन और प्रतिभूति हित के के स्वारा में प्रतिभूति हित के के स्वारा में प्रतिभूति हित के के स्वरा में प्रतिभूति हित के के सी उत्तरवर्ती संशोधन के संबंध में 100 रुपये।		T	1	1	
3. संयंत्र और यंत्र, स्टॉक वही ऋण सहित ऋण या प्राप्य वस्तुएं, चाहे वह मौजूद हों या सृजित होने वाली हो, के दृष्टिबंधन के तहत प्रतिभृति हित सृजित करने या उसमें संशोधन करने का विवरण फार्म ।		अचल संपत्ति गिरवी रखकर प्रतिभूति हित सुजित करने या उसमें संशोधन	उप-नियम (2क)		
सहित ऋण या प्राप्य वस्तुएं, चाहे वह मौजूद हों या सृजित होने वाली हो, के दृष्टबंधन के तहत प्रतिभूति हित सृजित करने या उसमें संशोधन करने का विवरण 4. प्रकाशनाधिकार या ट्रेडमार्क में प्रतिभृति हित सुजित करने या उसमें संशोधन करने का विवरण 4. प्रकाशनाधिकार या ट्रेडमार्क में प्रतिभृति हित सुजित करने या उसमें संशोधन करने का विवरण 5 लाख रु. ते के ऋण के संबंध में प्रतिभृति हित के सृजन और प्रतिभृति हित के किसी उत्तरवर्ती संशोधन करने के किसी उत्तरवर्ती संशोधन करने के ऋण के संबंध में प्रतिभृति हित के सृजन और प्रतिभृति हित के किसी उत्तरवर्ती संशोधन के संबंध में 100 रुपये। 5 लाख रु. तक के ऋण के संबंध में प्रतिभृति हित के सृजन और प्रतिभृति हित के किसी उत्तरवर्ती संशोधन के संबंध में 100 रुपये। 5 लाख रु. तक के ऋण के संबंध में प्रतिभृति हित के सृजन और			,		
प्रतिभृति हित सृजित करने या उसमें संशोधन करने का विवरण 5 लाख रु. तक के ऋण के संबंध में प्रतिभृति हित के किसी उत्तरवर्ती संशोधन के संबंध में प्रतिभृति हित के सृजन और संशोधन दोनों के लिए शुल्क 50 रु. होगा। 5. गिरवी के अलावा समझौता या किसी अन्य लिखत के द्वारा निर्माणाधीन किसी आवासीय या वाणिज्यिक विल्डिंग या इसके भाग में प्रतिभृति हित के किसी उत्तरवर्ती संशोधन के संबंध में प्रतिभृति हित के किसी उत्तरवर्ती संशोधन के संबंध में प्रतिभृति हित के किसी उत्तरवर्ती संशोधन के संबंध में प्रतिभृति हित के किसी उत्तरवर्ती संशोधन के संबंध में प्रतिभृति हित के किसी उत्तरवर्ती संशोधन के संबंध में प्रतिभृति हित के किसी उत्तरवर्ती संशोधन के संबंध में प्रतिभृति हित के किसी उत्तरवर्ती संशोधन के संबंध में प्रतिभृति हित के कृत्य और संशोधन दोनों के लिए शुल्क 50 रु. होगा। 6. नियम 4 के उप-नियम (2) और (2क), विवरण का विवरण (2क), (2ख), (2ख), (2ख), (2ख), (2ख)	3.	सहित ऋण या प्राप्य वस्तुएं, चाहे वह मौजूद हों या सृजित होने वाली हो, के दृष्टिबंधन के तहत प्रतिभूति हित सृजित करने या उसमें संशोधन करने	उप-नियम	फार्म ।	संशोधन के संबंध में 100 रुपये। 5 लाख रु. तक के ऋण के संबंध में प्रतिभूति हित के सृजन और संशोधन दोनों के लिए शुल्क 50 रु.
अन्य लिखत के द्वारा निर्माणाधीन किसी आवासीय या वाणिज्यिक बिलिंडग या इसके भाग में प्रतिभूति हित सृजित करने या उसमें संशोधन करने का विवरण 6. नियम 4 के उप-नियम (2) और (2क) से 2(घ) के अंतर्गत दर्ज प्रतिभूति हित के संबंध में प्रभार के तोषण का विवरण (2घ) के स्ग्रान और प्रतिभूति हित के किसी उत्तरवर्ती संशोधन के संबंध में 100 रुपये। 5 लाख रु. तक के ऋण के संबंध में प्रतिभूति हित के स्ग्रान और संशोधन दोनों के लिए शुल्क 50 रु. होगा। शून्य शून्य शून्य शून्य (2च) अंर (2क), (2ख), (2क), (2ख), (2ग) और (2घ)	4.	प्रतिभूति हित सृजित करने या उसमें संशोधन करने का विवरण	उप-नियम (2ग)	फार्म	संशोधन के संबंध में 100 रुपये। 5 लाख रु. तक के ऋण के संबंध में प्रतिभूति हित के सृजन और संशोधन दोनों के लिए शुल्क 50 रु. होगा।
से 2(घ) के अंतर्गत दर्ज प्रतिभूति हित के संबंध में प्रभार के तोषण का (2क), (2ख), (2ग) और (2घ)	5.	अन्य लिखत के द्वारा निर्माणाधीन किसी आवासीय या वाणिज्यिक बिल्डिंग या इसके भाग में प्रतिभूति हित सृजित करने या उसमें संशोधन	उप-नियम	फार्म ।	के सृजन और प्रतिभूति हित के किसी उत्तरवर्ती संशोधन के संबंध में 100 रुपये। 5 लाख रु. तक के ऋण के संबंध में प्रतिभूति हित के सृजन और संशोधन दोनों के लिए शुल्क 50 रु.
7. वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण - फार्म 500 रुपये	6.	से 2(घ) के अंतर्गत दर्ज प्रतिभूति हित के संबंध में प्रभार के तोषण का	उप-नियम (2), (2क), (2ख), (2ग) और	फार्म II	शून्य
तथा पुनर्गठन का विवरण	7.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	-	फार्म	500 रुपये
8. प्रतिभूतिकरण या पुनर्गठन संबंधी - फार्म IV 50 रुपये लेन-देन के तोषण का विवरण	8.	लेन-देन के तोषण का विवरण	-	फार्म IV	50 रुपये
9. किसी व्यक्ति द्वारा रजिस्टर में - 10 रुपये अभिलेखबद्ध/अनुरक्षित सूचना के लिए कोई आवेदन		अभिलेखबद्ध/अनुरक्षित सूचना के लिए कोई आवेदन		-	
10. 30 दिनों तक के विलंब के लिए माफी नियम 5 का - यथा प्रयोज्य मूल शुल्क के 10 गुणे से अधिक नहीं। के संबंध में कोई आवेदन उप-नियम (2)	10.	•		-	यथा प्रयोज्य मूल शुल्क के 10 गुणे से अधिक नहीं।

बशर्ते कि जहां किसी व्यक्ति द्वारा एक से अधिक प्रतिभूति हित के सृजन या संशोधन के लेन-देन का विवरण दर्ज किया जाता है, ऐसे व्यक्ति द्वारा देय शुल्क उनके द्वारा दर्ज प्रतिभूति हित के सृजन या संशोधन के संबंध में निर्धारित अधिकतम शुल्क होगा।

[फा. सं. 3/2/2014-रिकवरी]

मोहम्मद मुस्तफा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी:- मूल नियमावली का प्रकाशन 31 मार्च, 2011 के सा.का.िन. 276(अ.) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-॥ खंड 3, उप-खंड (i) में किया गया था और उत्तरवर्ती संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-॥, खंड 3 उप-खंड (i) में दिनांक 15.05.2013 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 310(अ.), दिनांक 15.05.2013 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2016

- **G.S.R. 102(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (c) to (g) of sub-section (2) of section 38 read with section 20 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Central Registry) Rules, 2011, namely:--
- 1. (1) These rules may be called the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Central Registry) Amendment Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Central Registry) Rules, 2011, (herein after referred to as the principal rules),---
- (a) in rule 4, after sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely:--
- "(2A). Particulars of creation, modification or satisfaction of security interest in immovable property by mortgage other than mortgage by deposit of title deeds shall be filed in Form I or Form II, as the case may be, and shall be authenticated by a person specified in the Form for such purpose by use of a valid digital signature.
- (2B). Particulars of creation, modification or satisfaction of security interest in hypothecation of plant and machinery, stocks, debt including book debt or receivables, whether existing or future shall be filed in Form I or Form II, as the case may be, and shall be authenticated by a person specified in the Form for such purpose by use of a valid digital signature.
- (2C). Particulars of creation, modification or satisfaction of security interest in intangible assets, being know-how, patent, copyright, trade mark, licence, franchise or any other business or commercial right of similar nature, shall be filed in Form I or Form II, as the case may be, and shall be authenticated by a person specified in the Form for such purpose by use of a valid digital signature.
- (2D). Particulars of creation, modification or satisfaction of security interest in any under construction residential or commercial building or a part thereof by an agreement or instrument other than by mortgage, shall be filed in Form I or Form II, as the case may be, and shall be authenticated by a person specified in the Form for such purpose by use of a valid digital signature.";
- (b). In rule 5, sub-rule (1), ---
- (i) for the words, brackets and figures "in sub-rule (1) of rule 3", the words, brackets and figures "in sub-rule (1) of rule 4", shall be substituted;
- (ii) after the second proviso, the following provisos shall be inserted, namely:-
- "Provided also that particulars of all subsisting transactions under sub-rule (2A) to (2D) of rule 4 shall be filed by the secured creditors with the Central Registry on or before such date as may be specified by the Central Government and no fee shall be payable on such filing till the said date.

Provided also that particulars of all subsisting transactions filed with the Central Registry after the date so specified shall be chargeable with such fee, specified in the Table under rule 7.

Explanation .--- For the purposes of the third & fourth provisos, the term "subsisting transactions" shall mean all those transactions which subsisted before the coming into force of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Central Registry) Amendment Rules, 2016.";

(c). In rule 7, for the Table, the following shall be substituted, namely:-

"TABLE

Serial Number	Nature of transaction to be Registered	Rule	Form No.	Amount of fee payable
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Particulars of creation or modification of security interest by way of mortgage by deposit of title deeds.	Sub-rule (2) of rule 4.	Form I	Rs.100 for creation and for any subsequent modification of security interest for a loan above Rs.5 lakh. For a loan upto Rs.5 lakh, the fee would be Rs.50 for both creation and modification of security interest.
2.	Particulars of creation or modification of security interest by way of mortgage of immovable property other than by deposit of title deeds	Sub-rule (2Ä) of rule 4.	Form I	NIL
3.	Particulars of creation or modification of security interest in hypothecation of plant and machinery, stocks, debt including book debt or receivables, whether existing or future.	Sub-rule (2B) of rule 4.	Form I	Rs. 100 for creation and for any subsequent modification of security interest for a loan above Rs. 5 lakh. For a loan upto Rs 5 lakh, the fee would be Rs. 50 for both creation and modification of security interest.
4.	Particulars of creation or modification of security interest in intangible assets, being know- how, patent, copyright, trade mark, licence, franchise or any other business or commercial right of similar nature	Sub-rule (2C) of rule 4.	Form I	Rs 100 for creation and for any subsequent modification of security interest for a loan above Rs. 5 lakh. For a loan upto Rs.5 lakh, the fee would be Rs.50 for both creation and modification of security interest.
5.	Particulars of creation or modification of security interest in any under construction residential or commercial building or a part thereof by an agreement or instrument other than by mortgage.	Sub-rule (2D) of rule 4.	Form I	Rs.100 for creation and for any subsequent modification of security interest for a loan above Rs. 5 lakh. For a loan upto Rs5 lakh, the fee would be 50 for both creation and modification of security interest
6.	Particulars of satisfaction of charge for security interest filed under sub- rule (2) and (2A) to (2D) of rule 4	Sub-rule (2), (2A), (2B), (2C) & (2D)of rule 4	Form II	Nil
7.	Particulars of securitisation or reconstruction of financial assets	-	Form III	Rs 500/-
8.	Particulars of satisfaction of securitisation or reconstruction transactions	-	Form IV	Rs 50/-
9.	Any application for information recorded/ maintained in the Register by any person	-	-	Rs 10/-
10.	Any application for condonation of delay upto 30 days	Sub rule (2) of rule 5.	-	Not exceeding 10 times of the basic fee, as applicable

Provided that where particulars of transaction of creation or modification of more than one security interest are filed by a person, the fee payable by such person shall be the one that is highest among the fee prescribed for security interests for which particulars of creation or modification are filed by such person."

[F. No. 3/2/2014- Recovery]

MOHD. MUSTAFA, Jt. Secy.

Footnote:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub section (i), vide GSR 276(E) dated the 31st March 2011 and subsequently amended vide notification number GSR 310(E) dated 15.05.2013 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub section (i), dated 15.05.2013.